CGBL020030752023

Registration N0. 2791/2023

Filling No. 2881/2023

शासन विरूद्ध मोहन लाल पंजवानी

न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बालोद,
जिला–बालोद (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त राज धुर्वे)

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 01/03/2024 को घोषित)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2791/2023

सी0एन0आर0 नं0 सी.जी.बी.एल.02–0030752023

अपराध क्रमांक– 509/2023

थाना– बालोद, जिला–बालोद (छ0ग0)

शिकायतकर्ता	**छत्तीसगढ़ राज्य**
राज्य की ओर से	श्री अभिषेक सिवाना, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	मोहन लाल पंजवानी, पिता स्व0 बिरजू पंजवानी, उम्र–53 वर्ष, साकिन– वार्ड क्र0–7 जवारपारा बालोद, थाना व जिला बालोद (छ0ग0)
अभियुक्त की ओर से	श्री ललेश्वर चक्रधर अधिवक्ता।

घटना का दिनांक	26.10.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट	26.10.2023
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	22.12.2023
आरोप विरचित करने का दिनांक	22.12.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	09.01.2024

CGBL020030752023

Registration N0. 2791/2023

Filling No. 2881/2023

शासन विरूद्ध मोहन लाल पंजवानी

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	01.03.2024
निर्णय की तिथि	01.03.2024
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	....

//अभियुक्त का विवरण//

अभियुक्त का रैंक	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी दिनांक**	**जमानत पर मुक्त होने का दिनांक**	**आरोपित अपराध**	**दोषमुक्त या दोष सिद्धि**	**दी गई सजा**	**धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि**
01	मोहन लाल पंजवानी, पिता स्व0 बिरजू पंजवानी, उम्र–53 वर्ष, साकिन– वार्ड क0–7 जवारपारा बालोद, थाना व जिला बालोद (छ0ग0)	26.10.2023	26.10.2023	धारा 34(1)(क), (ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

CGBL020030752023

Registration N0. 2791/2023

Filling No. 2881/2023

शासन विरूद्ध मोहन लाल पंजवानी

क्रमांक	विवरण	पेज नं0
1.	निर्णय का शीर्षक	01
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
3.	आरोप	03–04
4.	स्वीकृत तथ्य	04
5.	अभियोजन कहानी	04–05
6.	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	05
7.	अवधारणीय प्रश्न	05–06
8.	कारण और निष्कर्ष	06–17
9.	सजा	....
10.	निरोध की अवधि एवं सेट–ऑफ	17
11.	संपत्ति का व्ययन	17
12.	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	....
13.	धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	18
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास में अर्थदण्ड)	....
15.	निर्णय की प्रति	....

// निर्णय //

(आज दिनांक 01/03/2024 को घोषित)

01– अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध–अभियुक्त **मोहनलाल पंजवानी** पर छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क), (ख) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 26.10.2023 को समय लगभग 21:50

बजे थाना बालोद, क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र0–7 ज्वारपारा बालोद में, छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंध के या बनाये गये नियम तथा जारी की गई अधिसूचना या आदेश के उल्लंघन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 19 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल जुमला 3.420 बल्क लीटर को अपने कब्जे में रखकर, शराब विक्रय राशि 320 / – रूपये को अवैध रूप से प्राप्त किया।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 26 / 10 / 2023 को थाना बालोद के सहा0उप0नि0 विश्राम साहू हमराह स्टॉफ के साथ जुर्म जरायम पतासाजी एवं टाउन पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था। उसी दौरान पाण्डेपारा बालोद पहुंचे थे तभी मुखबिर से सूचना मिला कि जवाहरपारा बालोद में एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक बोरी में अधिक मात्रा में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना प्राप्ति पर हमराह स्टाफ एवं उपस्थित गवाह के साथ मौके पर जाकर रेड कार्यवाही कर एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहनलाल पंजवानी होना बताया।

04– अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास रखे एक सफेद

प्लास्टिक बोरी में 19 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल जुमला 3.420 बल्क लीटर बरामद कर जप्त किया गया। अभियुक्त का कृत्य आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क), (ख) के तहत् अपराध होने से अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध जमानतीय होने से उसे जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। साक्षीगण का बयान उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक अन्वेषणोंपरान्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

05– अभियुक्त को छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क), (ख) के तहत् अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये, समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किये गये परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए अपने प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना व्यक्त किया।

06– प्रकरण में निम्न अवधारणीय प्रश्न है :–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.10.2023 को समय लगभग 21:50 बजे थाना बालोद, क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र0–7 जवारपारा बालोद में, छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंध के या

बनाये गये नियम तथा जारी की गई अधिसूचना या आदेश के उल्लंघन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 19 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल जुमला 3.420 बल्क लीटर को अपने कब्जे में रखकर, शराब विक्रय राशि 320/– रूपये को अवैध रूप से प्राप्त किया ?

2. दोषसिद्धि/दोषमुक्ति ?

// साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष//

07– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा अपने समर्थन में दिलीप कुमार (अ0सा0–01), धनेश्वर बघेल (अ0सा0–02), आ.उप.नि. आशाराम शाक्य (अ0सा0–03), प्रधान आरक्षक संदीप बंजारे (अ0सा0–04) एवं सहा0उप0नि0 विश्राम साहू (अ0सा0–05) के कथन एवं निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण कराया :–

1.	धारा 160 की नोटिस	प्रदर्श पी.–01
2.	मुखबिर सूचना पंचनामा	प्रदर्श पी.–02
3.	तलाशी वारंट प्राप्त ना होने बाबत् पंचनामा	प्रदर्श पी.–03
4.	तलाशी पंचनामा पुलिस पार्टी एवं गवाह पंचनामा	प्रदर्श पी.–04
5.	तलाशी पंचनामा आरोपी	प्रदर्श पी.–05

6.	बरामदगी पंचनामा	प्रदर्श पी.–06
7.	शराब पहचान पंचनामा	प्रदर्श पी.–07
8.	जप्ती पत्रक	प्रदर्श पी.–08
9.	सीलबंद पंचनामा	प्रदर्श पी.–09
10.	गिरफ्तारी पत्रक	प्रदर्श पी.–10
11.	नजरी नक्शा पंचनामा	प्रदर्श पी.–11
12.	साक्षी दिलीप कुमार का पुलिस कथन	प्रदर्श पी.–12
13.	साक्षी धनेश्वर बघेल का पुलिस कथन	प्रदर्श पी.–13
14.	जप्तशुदा द्रव्य को आबकारी कार्यालय बालोद को प्रेषित की गई तहरीर	प्रदर्श पी.–14
15.	मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन	प्रदर्श पी.–15
16.	मालखाना में माल जमा करने की पावती	प्रदर्श पी.–16
17.	माल निकासी पंचनामा	प्रदर्श पी.–17
18.	जप्तशुदा शराब को मालखाना में रखने का पंचनामा	प्रदर्श पी.–18
19.	मालखाना रजिस्टर की छायाप्रति	प्रदर्श पी.–19 सी
20.	गवाहों की सहमति पंचनामा	प्रदर्श पी.–20
21	तलाशी हेतु सहमति पत्र	प्रदर्श पी.–21
22.	धारा 91 दंप्रसं की नोटिस	प्रदर्श पी.–22
23.	देहाती नालसी	प्रदर्श पी.–23

24.	प्रथम सूचना पत्र	प्रदर्श पी.–24
25.	नमूना सील पंचनामा	प्रदर्श पी.–25

08– **सहा0उप0नि0 विश्राम साहू (अ0सा0–05)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.10.2023 को हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम पतासाजी, रेड कार्यवाही पर टाउन बालोद की ओर रवाना हुआ था। पतासाजी के दौरान पाण्डेपारा बालोद के पास मुखबिर से सूचना मिला कि जवाहरपारा बालोद में एक व्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना प्राप्ति पर साक्षी दिलीप सोनकर व धनेश्वर बघेल को धारा 160 दं0प्र0सं0 की नोटिस **प्रदर्शपी–02** देकर मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुये मुखबिर सूचना पंचनामा **प्रदर्शपी–01** तैयार किया।

09– साक्षी ने आगे कथन किया है कि गवाहों की सहमति हेतु पंचनामा **प्रदर्शपी.–20** तैयार कर मौके पर ही गवाहों के समक्ष तलाशी वारंट प्राप्त न होने बाबत पंचनामा **प्रदर्शपी 03** तैयार कर, आरोपी को स्वयं एवं हमराह व गवाह की तलाशी देकर तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह **प्रदर्शपी–04** निर्मित किया। आरोपी की तलाशी लेने हेतु

उसकी सहमति के संबंध में पंचनामा **प्रदर्शपी 21** तैयार किया। गवाहों के समक्ष आरोपी की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा **प्रदर्शपी 05** तैयार कर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में रखे 19 पाव देशी प्लेन शराब कुल 3.420 बल्क लीटर एवं शराब बिक्री राशि 320/– रू. गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा **प्रदर्शपी–06** तैयार किया।

10– साक्षी ने आगे कथन किया है कि गवाहों के समक्ष ही बरामद सामग्री को पहचान कर जप्तशुदा द्रव्य को देशी प्लेन मदिरा होना पाया जिसके संबंध में सामान पहचान पंचनामा **प्रदर्शपी 07** तैयार किया। अभियुक्त को अपने कब्जे में देशी प्लेन शराब रखने एवं विक्रय करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 दं0प्र0सं0 की नोटिस **प्रदर्शपी–22** दिया, जिसके जवाब में आरोपी के द्वारा शराब रखने व बिक्री करने का कोई दस्तावेज नहीं है, का लिखित कथन किया तत्पश्चात् उससे बरामद द्रव्य को जप्त कर जप्ती पत्रक **प्रदर्शपी–08** तैयार किया गया।

11– साक्षी ने आगे कथन किया है कि साक्षीगण के समक्ष सामान नमूना सील पंचनामा **प्रदर्शपी–09** तैयार किया। साक्षी दिलीप सोनकर व धनेश्वर बघेल का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया। प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी मोहन लाल पंजवानी को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्शपी–10** तैयार किया। घटना दिनांक को घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्रदर्शपी–11** तैयार किया। आरोपी मोहन लाल पंजवानी के विरूद्ध धारा 34–1–क, ख आबकारी अधिनियम अपराध क्र0 0/2023 में देहाती नालसी **प्रदर्शपी–23** लेखबद्ध किया। वापस थाना आकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34–1–क, ख आबकारी अधिनियम, अपराध क्र0 509/2023 में पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्शपी.–24** लेखबद्ध किया।

12– साक्षी ने आगे कथन किया है कि जप्तशुदा मदिरा को मालखाना में जमा कर माल जमा पंचनामा **प्रदर्शपी.–16** तैयार किया, शराब का परीक्षण किये जाने हेतु मालखाने से निकालकर माल निकासी पंचनामा **प्रदर्शपी.–17** तैयार कर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बालोद, जिला बालोद को दिनांक 27.10.2023 को मय तहरीर **प्रदर्शपी.–14** प्रेषित किया। द्रव्य का परीक्षण पश्चात जप्तशुदा माल को मालखाना में जमा करने हेतु पंचनामा **प्रदर्शपी.–18** निर्मित किया, प्रकरण में मूल नमूना सील **प्रदर्शपी.–25** तैयार किया, मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न है। संपूर्ण विवेचना उपरांत नकल रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रतिलिपि संलग्न

कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

13– साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना स्थल के आसपास आवासीय मकान व स्कूल स्थित है, किन्तु नजरी नक्शा **प्रदर्शपी.–11** में घटना स्थल को चिन्हांकित किये जाने के अतिरिक्त आसपाास के आवासीय मकान एवं अन्य चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रोजनामचा सान्हा में जप्तशुदा शराब की मात्रा 18 पाव लेख है। इस पर साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि प्रीटिंग त्रुटि होने के कारण 18 पाव लेख हो गया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि माल जमा पावती पंचनामा में समय एवं माल नंबर का लेख नहीं है।

14– **प्रधान आरक्षक संदीप बंजारे (अ0सा0–04)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.10.2023 को सहायक उपनिरीक्षक विश्राम साहू द्वारा थाना बालोद के अपराध क्र. 509/2023 धारा 34–01–क, ख आबकारी एक्ट में आरोपी मोहन लाल पंजवानी से एक सफेद रंग की प्लास्टिक पानी पाउच की बोरी में रखे 19 पाव देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. शराब भरी हुई आबकारी विभाग का लेबल लगा, सीलबंद कुल जुमला 3.420 बल्क लीटर कीमती 1520/– रू. एवं

शराब बिक्री रकम 320 / — रू. को सीलबंद स्थिति में जप्त कर मालखाने में देने पर सुरक्षार्थ रखा।

15— साक्षी ने आगे कथन किया है कि मालखाना जमा पावती **प्रदर्शपी 16** है, जिसे दिनांक 27.10.2023 के समय 09.30 बजे परीक्षण हेतु मालखाना से निकालकर निकासी पंचनामा **प्रदर्शपी 17** तैयार किया। जप्तशुदा शराब को परीक्षण हेतु आबकारी कार्यालय बालोद ले जाकर परीक्षण पश्चात उसी दिन समय 18.30 बजे मालखाना में परीक्षणशुदा माल व रिपोर्ट जमा किया, जप्तशुदा शराब को मालखाना में रखने का पंचनामा **प्रदर्शपी 18** है। माल को पहचान हेतु माल नं. 282 एवं अपराध क्र. 509 / 2023 अंकित कर, जप्तशुदा शराब को मालखाने के रजिस्टर में इंद्राज किया, मालखाना रजिस्टर की मूलप्रति **प्रदर्शपी 19** एवं उसकी छायाप्रति **प्रदर्शपी 19 सी** है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जप्तमाल रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर कहीं पर नहीं हैं।

16— **आब.उपनिरी. आशाराम शाक्य (अ0सा0—03)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.10.2023 को थाना—बालोद के अपराध क्र0—509 / 2023 धारा 34—1—क—ख आबकारी अधिनियम में

जप्तशुदा शराब एक सफेद प्लास्टिक बोरी में 19 पाव देशी प्लेन मदिरा सीलबंद हालत में परीक्षण हेतु थाना बालोद से मय तहरीर पत्र **प्रदर्शपी.–14** के माध्यम से परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत शीशियों में से रेण्डमली 04 पाव देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180 एम0एल0 क्षमता से भरी हुई तरल पदार्थ जिसका सील तोड़कर उसमें भरे द्रव्य को देखकर, सुंघकर, चखकर एवं लिटमस पेपर से परीक्षण किया और थर्मामीटर तथा हाइड्रोमीटर से द्रव्य का परीक्षण किये जाने पर उसकी तीव्रता 51.2 यू.पी. होना पाया, उपरोक्त परीक्षण के आधार पर प्राप्त प्रशिक्षण तथा विभागीय अनुभव के आधार पर जप्तशुदा प्रस्तुत तरल पदार्थ को देशी मदिरा प्लेन सिद्ध होना पाया। साक्षी द्वारा जांच हेतु प्रस्तुत मदिरा को सील चपड़ा से सीलबंद कर प्रस्तुतकर्ता आरक्षक को वापस किया गया तथा मौके पर मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्शपी–15** तैयार किया जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया।

17– साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मदिरा के प्रत्येक शीशियों में बेच नंबर का उल्लेख रहता है, किन्तु जिन शीशियों का उसने परीक्षण किया गया है उनमें किसी भी का बेच नंबर का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया

है कि जो लिटमस पेपर परीक्षण के लिये उपयोग किया गया है उसका निर्माण व अवसान की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर साक्षी स्वतः कथन किया है कि परीक्षण के लिये लिटमस पेपर प्रदान किया जाता है उसमें निर्माण व अवसान की तिथि का उल्लेख नहीं रहता।

18— **दिलीप कुमार (अ0सा0—01)** ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त को न जानना एवं अपने समक्ष आरोपी से कोई कार्यवाही न करने का कथन करते हुये पुलिस के कहने पर दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने का कथन किया है। ऐसा ही कथन **धनेश्वर बघेल (अ0सा0—02)** के द्वारा किया गया है। साक्षीगण ने प्रकरण में संलग्न दस्तावेज **प्रदर्शपी—1** से लेकर **प्रदर्शपी—11** तक में अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। मुख्य परीक्षण में साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने पर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन न कर पुलिस को अपना बयान **प्रदर्शपी.—12** एवं **प्रदर्शपी.—13** ना देने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न सभी दस्तावेजों पर पुलिस ने एक साथ एक ही समय में हस्ताक्षर करवाये थे, जिन्हें उन्होंने हस्ताक्षर करते समय न तो पढ़ा था और न ही उन्हें पढ़कर सुनाया था।

19– प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण दिलीप कुमार (अ0सा0–1) एवं धनेश्वर बघेल (अ0सा0–2) ने प्रकरण के आरोपी मोहल लाल को नहीं जानने–पहचानने का कथन किया है, यदि घटना दिनांक 26.10.2023 को उनके समक्ष पुलिस द्वारा आरोपी से जप्ती या गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाती तो साक्षीगण द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में अवश्य ही कथन किया गया होता, किन्तु साक्षीगण ने केवल प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों में पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है। साक्षीगण ने घटना दिनांक को घटनास्थल वार्ड क्र0–7 जवारपारा बालोद में उपस्थित होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण के साक्षीगण द्वारा आरोपी के कब्जे से द्रव्य जप्त किया जाना एवं उसे गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है जिससे प्रकरण में की गई जप्ती कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। प्रकरण में बरामद राशि 320/– रूपये के संबंध में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि वह शराब विक्रय राशि है, प्रकरण में टेस्ट पर्चेस की कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य आया कि आरोपी घटनास्थल पर शराब विक्रय कर राशि अवैध रूप से प्राप्त कर रहा था।

20– अतः उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय

यह पाता है कि प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से द्रव्य का जप्त किया जाना प्रमाणित नहीं किया जा सका है। जिससे अभियोजन का प्रकरण विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में संदेहास्पद हो जाता है। अतः प्रकरण के अभियुक्त **मोहनलाल पंजवानी** को छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क), (ख) के आरोप कि उसने दिनांक 26.10.2023 को समय लगभग 21:50 बजे थाना बालोद, क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र0–7 जवाहरपारा बालोद में छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के उपबंध के या बनाये गये नियम तथा जारी की गई अधिसूचना या आदेश के उल्लंघन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्य 19 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल जुमला 3.420 बल्क लीटर को अपने कब्जे में रखकर, विक्रय कर शराब विक्रय राशि 320/– रूपये को विक्रय करने के आशय से अपने आधिपत्य में रखने के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए **धारा 34(1)(क), (ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915** से **दोषमुक्त** किया जाता है।

21– अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पुर्व में प्रस्तुत जमानत/मुचलके अंतर्गत धारा 437–ए द.प्र.सं. 1973 छः माह तक प्रभावशील रहेगा।

22– अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 तथा नियम 270 छ.ग. आपराधिक नियम व आदेश के अंतर्गत निरोध अवधि

तालिका तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

23– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 19 पौवा देशी प्लेन शराब को अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे एवं जप्तशुदा राशि 320/–रू. को शासन के पक्ष में राजसात किया जावे। निर्णय की अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

HEMANT RAJ DHURVE Digitally signed by HEMANT RAJ DHURVE

(हेमन्त राज धुर्वे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जिला–बालोद (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

HEMANT RAJ DHURVE Digitally signed by HEMANT RAJ DHURVE

(हेमन्त राज धुर्वे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जिला–बालोद (छ.ग.)

CGBL020030752023

Registration N0. 2791/2023

Filling No. 2881/2023

शासन विरूद्ध मोहन लाल पंजवानी

न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बालोद, जिला—बालोद (छ0ग0)

—ःनिरोध अवधि तालिकाः—

(प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 सहपठित नियम 270 छ0ग0 आपराधिक नियम व आदेश)

क.	**अभियुक्त का नाम**	**पुलिस अभिरक्षा की अवधि**	**न्यायिक अभिरक्षा की अवधि**	**कुल अभिरक्षा की अवधि**	**दंडादेश/कारावास की अवधि**	**कुल समायोजित की गई अवधि**
1.	2	3	4	5	6	7
1.	मोहन लाल पंजवानी, पिता स्व0 बिरजू पंजवानी, उम्र—53 वर्ष, साकिन— वार्ड क्र0—7 जवारपारा बालोद, थाना व जिला बालोद (छ0ग0)	निरंक	निरंक	निरंक	दोषमुक्त	निरंक

HEMANT RAJ DHURVE Digitally signed by HEMANT RAJ DHURVE

स्थानः—बालोद
दिनांकः—01.03.2024

(हेमन्त राज धुर्वे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
जिला बालोद (छ0ग0)